मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:– श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. धना पुत्र दैराज 2. पाबू पुत्र दैराज जातियान जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. हुकमा पुत्र दैराज 2. गैरा पुत्र दैराज जातियान जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 3. शाखा प्र. जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा 4. तहसीलदार सिणधरी।

दावा बाबतः– 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 112/2021

निर्णय दिनांक :–06.08.2024

वादीगण की ओर से **श्री भंवरलाल सारण** अधिवक्ताएवं राज. पैरोकर की उपस्थिति व शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.08.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:–** वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 06.08.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 06.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद का खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

न्यायालय [illegible] सिणधरी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री [illegible] अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादीगण स. 1 से 3 अनुपस्थित, एकतरफा व प्रतिवादी स. 4 के पैरोकार उप.

निर्णय

दिनांक– 06.08.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा– खरंटिया के खसरा स. [illegible] रकबा 12.3395 हैक्टर तथा मौजा [illegible] पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी के खसरा स. 53 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 54 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा स. 55 रकबा 16.3925 हैक्टेयर, खसरा स. 55/1 रकबा 0.2285 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/2 रकबा 7.5318 हैक्टेयर कुल रकबा 24.3965 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 29.09.2022 को प्राथमिक [illegible] स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर [illegible] की कब्जा काश्त अनुसार [illegible] विभाजन प्रस्ताव [illegible] किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिस वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

[illegible] SDO सिणधरी

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ... के खसरा सं. 179 रकबा 12.5395 हैक्टर तथा मौजा धोलाडेर पटवार मण्डल ... सिणधरी के खेत खसरा सं. 53 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 54 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा ... रकबा 16.5926 हैक्टेय, खसरा सं. 55/1 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/2 रकबा ... 5318 हैक्टयर कुल रकबा 24.3965 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य ... प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	धनाराम पुत्र देराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन– आर. एम. जी. बी. चवा।	धोलाडेर	55	3.3344	बा.दो	0.20	हरा
			55/2	5.8356	बा.दो.	0.35	
		कुल	2	9.1700	बा.दो.	0.55	
2.	पाबूराम पुत्र देराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन– आर. एम. जी. बी. चवा।	धोलाडेर	53	0.0162	गै.मु.ढाणी		गुलाबी
			54	[illegible]	गै.मु.ढाणी		
			[illegible]	[illegible]	बा.दो.	0.30	
			55/[illegible]	0.73[illegible]	[illegible]	0.04	
		खंरटिया	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.20	
		कुल	[illegible]	[illegible]		0.54	
3	हुकमाराम पुत्र देराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन– आर. एम. जी. बी. चवा।	धोलाडेर	55	3.2200	[illegible]	0.19	केसरीया
			55	5.0228	[illegible]	0.31	
			55/[illegible]	0.9273	[illegible]	0.06	
		कुल	3	9.1701	[illegible]	0.56	
4	भेराराम पुत्र देराजराम 1120/1133 किसनाराम पुत्र जुंजाराम 13/2266 हेमाराम पुत्र रतनाराम 13/2266 जाति जाट सा. देह खातेदार।	खंरटिया	179	9.0648	[illegible]	0.55	बैगंनी
			179	0.1052	बा.दो.		
		कुल	2	9.1700	बा.दो.	0.55	
5	राज. सरकार (रास्ता)	धोलाडेर	55/1	0.2265	गै.मु.रास्ता		आसमानी
			55/2	0.0324	गै.मु.रास्ता		
		कुल	2	0.2589			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested